उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-09/2019/401/37-1-2018-2(37)/2018 टी0सी0

लखनऊः दिनांक 06 मार्च, 2019

कार्यालय-आदेश

तात्कालिक प्रभाव से पशुपालन विभाग के निम्नलिखित नव-प्रोन्नत संयुक्त निदेशक/ मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1	2	3	4
क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती का स्थान	ज्येष्ठता क्रमांक	नवीन तैनाती का स्थान
1	डा0 वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	708	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2	डा0 सुरेन्द्र कुमार सिंह	668	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, कुशीनगर।
3	डा0 विकास साठे	714	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देवरिया।
4	डा0 ललित कुमार वर्मा	704	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बरेली।
5	डा0 नरेन्द्र कुमार शर्मा	717	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, मुजफफरनगर।
6	डा0 जगदीश प्रसाद सिंह-1	683	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, भदोही।
7	डा0 ज्ञान प्रकाश	694	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, सिद्वार्थनगर।
8	डा0 नरेन्द्रपाल सिंह	669	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रामपुर।
9	डा0 रवीन्द्र कुमार	665	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बागपत।
10	डा0 टोडरमल	718	संयुक्त निदेशक, पोल्ट्री पैथो, मुख्यालय।
11	डा0 राकेश बहादुर सिंह	685	संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण, मुख्यालय।
12	डा0 वीर सिंह	692	संयुक्त निदेशक, डी0एफ0एस0, बाबूगढ.।
13	डा0 रामचन्द्र चौरसिया	686	संयुक्त निदेशक, पैथो0 गोरखपुर।
14	डा0 प्रदीप कुमार-1	670	संयुक्त निदेशक, गायनो0, बरेली।
15	डा0 भगवती शरण शर्मा	689	संयुक्त निदेशक, गायनो0 सहारनपुर।
16	डा0 सुरेन्द्र कुमार-3	690	संयुक्त निदेशक, पैथो0 आजमगढ.।
17	डा0 सुरेन्द्र कुमार	687	संयुक्त निदेशक, पैथो0, आगरा।

2- संबंधित अधिकारी तत्काल आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-09/2019/401(1)/37-1-2019तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(2) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) संबंधित अपर निदेशक, ग्रेड-2 पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(6) संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।